रजिस्टर्ड नं० पी०/एस०एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

असाधारण

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 28 फरवरी, 1981/9 फाल्गुन, 1902

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधीसूचना

शिमला, 3 फरवरी, 1981

संख्या पी०सी०एच०-एच०ए०(4)-48/76.--हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां अधिनियम) की धारा 154 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायत समिति कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को अधिक्रमण (सुपरसीड) करने का सहर्ष आदेश देते हैं क्योंकि यह पंचायत समिति गणपूर्ति (कोरम) के अभाव के कारण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 के अधीन या द्वारा सौंपे गये अपने कर्तव्यों को निभाने में सक्षम नहीं है।

राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश ऊपर कथित अधिनियम की धारा 155 (1)(बी) में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त पंचायत समिति के पुनः स्थापन तथा कार्य प्रारम्भ करने के समय तक के लिय जिलाधीश, कांगड़ा (धर्मशाला) को पंचायत समिति कांगड़ा की पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करने तथा उन्हें निभाने हेतु नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं।

आदेश द्वारा,
वी०सी० नेगी,
सचिव।

161-राजपत्र-28-2-81-1,013.

मूल्य: 20 पैसे।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 6 फरवरी, 1981

सं0 टी0पी0टी0 9-7/76.—हिमाचल प्रदेश में लागू पंजाब मोटर व्हीकल्ज रूल्ज, 1940 के नियम 2.1 तथा 3.2 के अन्तर्गत, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सहर्ष उप मण्डल अधिकारी बडसर, जिला हमीरपुर को अपने कार्यक्षत्र/उप मण्डल के भीतर तुरन्त से अपने कार्य के साथ पंजीयन तथा अनुज्ञापन अधिकारी का कार्य करने के लिये नियुक्त करते हैं ।

कंवर शमशेर सिंह,
सचिव ।

श्रम विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, 4 फरवरी, 1981

संख्या 2-94/69-एल0आई0-II.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की सेवाएं जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत आती है, को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवाएं घोषित किया जाना चाहिये;

और यतः उक्त सेवाएं अधिसूचना सम संख्या दिनांक 12-6-1980 द्वारा 23-6-1980 से छः मास यानि 23 दिसम्बर, 1980 तक जनोपयोगी सेवाएं घोषित की गई थी;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवाकाल छः महीनों तक घोषित करना अनिवार्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एन) के उप खण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला को उक्त सेवाओं की जन उपयोगी सेवा काल उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 6 मास तक की अवधी के लिये तुरन्त घोषित करते हैं।

शिमला-2, 4 फरवरी, 1981

संख्या 2-94/69-एस0आई0.—II.—यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि सीमैण्ट, फक्टरी, राजबन, तहसील पौन्टा, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की सेवायें जो कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की प्रथम अनुसूचि के अन्तर्गत आती है को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु जनोपयोगी सेवायें घोषित किया जाना चाहियें;

और यतः उक्त सेवाएं अधिसूचना सम संख्या दिनांक 12-6-80 द्वारा 23-6-80 से छः मास यानि 23 दिसम्बर, 1980 तक जनोपयोगी सेवायें घोषित की गई थीं;

और यतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि लोक हित में यह अपेक्षित है कि उक्त सेवाओं का जन उपयोगी सेवाकाल छः महीनों तक घोषित करना अनिवार्य है;

अतः औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का अधिनियम संख्या 14) की धारा 2 के खण्ड (एम) के उप खण्ड (VI) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल एतद्द्वारा सीमण्ट फैक्टरी राजबन को उक्त सेवाओं की जन उपयोगी सेवाकाल उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु 6 मास तक की अवधि के लिय तुरन्त घोषित करते हैं।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-3 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।